

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी
मिसल नं.
सरकार

...
...
बनाम

मांगेराम पूनियां (तहसीलदार)
114/2016
बलवान पुत्र जालुराम, जाति-जाट,
निवासी- बेरला

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत
निर्णय दिनांक : 23.02.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल बलवान पुत्र जालुराम, जाति-जाट, निवासी-बेरला द्वारा रोही मौजा बेरला की भूमि ख.नं. 590/393 के कुल रकबा 0.06 है 0 किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.03 है 0 भूमि पर सरसों काशत कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया गया कि उसका राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। जवाब में वर्णित किया गया है कि रास्ता बाबत दर्ज किया गया नामान्तरकरण संख्या 612 दिनांक 10.08.2011 को गलत रूप से तरमीम किया गया है। गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जवाब के संबंध में रिपोर्ट भू.अ.नि. सूरजगढ़ से ली गई। गैर सायल का जवाब संतोषजनक नहीं माना जा सकता है क्योंकि रिपोर्ट भू.अ.नि. द्वारा स्पष्ट है कि वर्तमान नक्शा के अनुसार दर्ज रास्ते में पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक अतिक्रमण है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 9 रु. कायम किया जाता है। दिनांक 23.02.2016 को वकील गैर सायल ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ के आदेश दिनांक 20.02.2017 की प्रति पेश की जिसमें आदेश दिया गया है कि आगामी तारीख तक किसी प्रकार की तोड़ फोड़ मकानात में नहीं करे, मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। राजकीय भूमि में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की, जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के अध्यक्षीन रहते हुए दी जाती है। इस बाबत गिरदावर हल्का को लिखा जावे।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ के निर्णय के अध्यक्षीन रहते पालना हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं० 40 पर
वर्ष 2017 में रुपये 9 कायम किए
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनिया)
तहसीलदार, सूरजगढ़